

FORM NO.III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

प्रार्थी :-  
मांगीलाल पुत्र श्री किस्तुररामजी, जाति-भाट,  
निवासी-ग्राम चोटिला, तहसील-रोहट,  
जिला-पाली राजस्थान

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. शशिपाल कुमावत पुत्र श्री कन्हैयालालजी,  
जाति कुमावत, निवासी प्लॉट नम्बर 8-बी, साउथ  
पार्ट, कृष्णा नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर  
राजस्थान, हाल निवासी-एस्सार (नायरा) कम्पनी  
ग्राम सवाईपुरा तहसील रोहट जिला पाली
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार  
रोहट, तहसील-रोहट, जिला पाली राजस्थान

किस्म मुकदमा राजस्व विविध 55/2020

RCMS No. :- 2020/00 149

अन्तर्गत धारा 81 भू. राजस्व अधिनियम स्थगन प्रार्थना पत्र

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13/8/20	प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने मूल अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश कर अपीलाधीन आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित किये जाने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 20/08/20 को पेश हो।  जिला कलेक्टर, पाली	845 14/8/20
20/8/20	अप्रार्थीगण के नाम जारी नोटिस का तामील प्राप्त। कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया है। पेशी इल्लवा होकर पत्रावली दिनांक 25/8/20 को पेश हो।	
25/8/20	वकुलाय उप। स्थगन प्रार्थना पत्र मूल अपील के साथ दिनांक 21/09/2020 को पेश हो।  जिला कलेक्टर पाली (राज.)	
21/9/20	कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण वकील मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने का निर्णय लिया है। पेशी इल्लवा होकर पत्रावली दिनांक 7/9/20 को पेश हो।	
7/9/20	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उप। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 0 ने जवाब पेश किया, जो शामिल मिराल हो। इस पत्रावली से संबंधित मूल अपील में निर्णय पारित हो जाने के इस तह पर कोई कार्यवाही भविष्य में नहीं होने प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र शामिल किया जा रहा है। यह पत्रावली 25/09/20 को पेश होकर न्यायालय में नम्बर के कम हो रहा मूल अपील के निलंबित हो।  जिला कलेक्टर, पाली	